प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पंद्रह '

[21/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3428]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 3428 सदन में उत्तर देने का दिनांक 21.03.2017

माननीया विधायक श्रीमती पारूल साहू केशरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुरखी विधानसभा में क्षतिग्रस्त मार्गो की जानकारी

क्रं.	मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई (किमी.)	मार्ग की अद्यतन स्थिति
सुरखी विधानसभा में 5 वर्ष की अवधि में क्षतिग्रस्त मार्ग			
1	एन.एच.–26 से मूडरा	9.70	निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध अनुसार मार्ग का संधारण नहीं करने के कारण दिनांक 01.06.2015 को अनुबंध निरस्त किया गया। एजेंसी द्वारा सुधार का आश्वासन दिए जाने पर प्राधिकरण स्तर से दिनांक 23.09.2015 को अनुबंध पुनर्जजीवित करते हुये अवसर दिया गया। निर्माण एजेंसी द्वारा 9 कि.मी. मार्ग में से 7 कि.मी. मार्ग पर संधारण किया जा रहा है। 2 कि.मी. मार्ग पर भारी वाहन (टोल टैक्स बचाने के उद्देश्य से) चलने से मार्ग क्षतिग्रस्त हा रहा है। इस अंश के मार्ग उन्नयन के लिए प्रस्ताव स्वीकृति की प्रकिया में है। इसका निर्माण एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
सुरखी विधानसभा में 5 वर्ष से अधिक अवधि में क्षतिग्रस्त मार्ग			
1	मेन रोड से मनक्याई	4.65	निर्माण एजेंसी की अनुबंध की संधारण अवधि दिनांक 31.05.2016 को समाप्त हो गई है। मार्ग का 2 कि.मी. हिस्सा भारी वाहन चलने से क्षतिग्रस्त है। इस अंश का मार्ग का उन्नयन तथा शेष अंश के संधारण के लिए आवश्यक स्वीकृति देकर एजेंसी नियत करने के निर्देश दे दिए गये है।
2	एम.डी.आर. (सरखेड़ी) से चैनपुरा	1.90	अनुबंध के तहत मार्ग संधारण की अवधि दिनांक 31.05.2016 को समाप्त हो गई है। संधारण के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गय है।
3	ओ.डी.आर. से सागोनी पुरैना	3.00	अनुबंध के तहत मार्ग संधारण की अवधि दिनांक 31.05.2016 को समाप्त हो गई है। संधारण के लिए नई एजेंसी नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गय है।
4	एनएच 26 से बेरखेड़ी गुरू	0.93	निर्माण एजेंसी की अनुबंध के अनुसार मार्ग का संधारण नहीं करने के कारण दिनांक 23.12.2015 को अनुबंध निरस्त कर परफोरमेंस सिक्यूरिटी राशि रू. 23.76 लाख राजसात की गई। संधारण हेतु नई एजेंसी नियत करने के निर्देश दे दिए गए है।
सुरखी विधानसभा में 10 वर्ष से अधिक अवधि के क्षतिग्रस्त मार्ग			
1	जैसीनगर से तोडा तरफदार	9.91	मार्ग का 2 कि.मी. भाग भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त है। संधारण करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां देकर एजेंसी निर्धारित करने के निर्देश दे दिए गए है।
2	बिलहरा से चारटोरिया मार्ग	11.9	भारी वाहनों के आवागमन से मार्ग क्षतिग्रस्त है। मार्ग के उन्नयन की स्वीकृति देकर निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दे दिए गए है।